

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/नियु0/मृआ/2018/

दिनांक:-

1. संबंधित अधीक्षक,
संलग्न चिकित्सालय, समूह, राज0।
2. समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ज़ोन, राज0।
3. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी।

विषय:- मृतक आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी/स्वीपर के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाये जाने बाबत।

इस निदेशालय के आदेश क्रमांक: 599 दिनांक 05.10.18 एवं 876 दिनांक 05.10.18 के द्वारा कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी/स्वीपर संवर्ग पर मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाकर पदस्थापित किया गया था, किन्तु वर्तमान में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण उक्त मृतक आश्रित कर्मचारियों ने अपने पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की है, उन्हें कार्यग्रहण करने की अवधि में शिथिलता प्रदान करते हुए स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है, तथा इनकी कार्यग्रहण अवधि दिनांक 04.12.18 तक बढ़ाई जाती है। यह आदेश जिन मृतक आश्रित कर्मचारियों ने पूर्व में कार्यग्रहण कर लिया है, उन पर लागू नहीं है।

उक्त आदेश राज्य सरकार की आई.डी. संख्या 7958 दिनांक 12.11.18 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

राज0 जयपुर

दिनांक:- 27/11/18

क्रमांक:-ई-18/एम/नियु0/मृआ/2018/ 651

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1- संबंधित मृतक आश्रित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।

2- आदेश/रक्षित पत्रावली।

3- 3 महीने की अवधि के अंतर्गत कार्यवाही के अंतर्गत पर उपरोक्त को।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,

राज0 जयपुर